न्यायालय
पीठासीन अ...

सुन्दरलाल बनाम मोहनलाल मु.नं. 152/23

दिनांक	आज्ञा पत्र
1.4.24	पत्रावली पेश। वकीलान उभय पक्ष उप/ वास्ते बहस दिनांक 2.5.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
2.5.24	पत्रावली पेश। वकीलान उभय पक्ष उप/ वास्ते बहस दिनांक 5.6.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5.6.24	पत्रावली पेश। वकीलान उभय पक्ष उप/ वास्ते बहस दिनांक 22.7.24 को पेश हो।
22.7.24	पत्रावली पेश। वकीलान उभय पक्ष उप/ वास्ते बहस दिनांक 22.8.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
22.8.24	पत्रावली पेश। वकीलान उभय पक्ष उप/ वास्ते बहस दिनांक 18.9.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
18.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.9.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.9.24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 152/2023

1 सुन्दरलाल उम्र 65 साल पुत्र श्री नारायण जाति माली निवासी ढाणी बाडावाली तन ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनलाल उम्र 49 साल पुत्र भैरू
2 जमना देवी उम्र 88 साल पत्नी भैरू
3 साधू उम्र 59 साल पुत्र कुशला
4 सीताराम उम्र 56 साल पुत्र कुशला
समस्त जाति निवासी ढाणी बाडावाली तन ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
5 जगदीश उम्र 61 साल पुत्र भैरू
6 लच्छी देवी उम्र 68 साल पत्नी धोलूराम पुत्री भैरू
7 मन्नी देवी उम्र 63 साल पत्नी भोमाराम पुत्री भैरू
8 झूमा देवी उम्र 51 साल पत्नी मदनलाल पुत्री भैरू
9 मुरलीधर उम्र 66 साल पुत्र भैरू
10 महेन्द्र उम्र 37 साल पुत्री मुरली
11 कैलाश उम्र 41 साल पुत्री मुरली
12 बल्ला उम्र 69 साल पुत्र कुशला
13 मंगला उम्र 66 साल पुत्र कुशला
समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी बाडावाली तन ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

14 केसी देवी उम्र 76 साल पुत्री कुशला पत्नी गजानन्द जाति माली निवासीगण ढाणी नाडा की तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
15 फूली देवी उम्र 61 साल पुत्री कुशला पत्नी प्रभूदयाल जाति माली निवासी डूंगरी के पास नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
16 दाफू देवी उम्र 54 साल पुत्री कुशला पत्नी सुवालाल
17 छोटी देवी उम्र 52 साल पुत्री कुशला पत्नी भाग्गूराम जाति माली निवासी रायसिंह का बास गोविन्दगढ़ तहसील चौमू जिला जयपुर।
18 उप पंजीयक कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
19 पटवारी पटवार हल्का मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
20 भूमिधारी जरिए तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.08.2023 मु.नं. 153/2022 बउनवानी मोहनलाल आदि बनाम सुन्दरलाल आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीमाधोपुर जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि.

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 23.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 153/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 ने एक वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3825, 3826, 3828 वाके ग्राम मुण्डरू पटवार हल्का मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री इस आधार पर पारित की गयी है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 9, 10 की ओर से वाद पत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति जाहिर की गयी है जबकि अपीलांट व अपीलाधीन वाद के प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से कभी भी वाद पत्र को स्वीकार नहीं किया गया था बल्कि वाद पत्र का खण्डन करते हुए काउण्टर दावा प्रस्तुत किया गया था। इसलिए इस बात का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि वे वाद पत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति दे। अपीलांट व अपीलाधीन वाद के प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से काउण्टर वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए सहमति प्रकट की गयी थी। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अवैध रूप से पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरित जाकर अपीलाधीन वाद पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री कतई अवैध रूप से पारित की गयी है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज होने योग्य है। पत्रावली में प्रथम कार्यवाही समस्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

पक्षकारों की तलबी की कार्यवाही ही पूर्ण नहीं हुई है। पत्रावली की आदेशिका पर दी गयी पी.डी. जारी करने की तथाकथित सहमति के आधार पर भी कतई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती क्योंकि आदेशिका पर पक्षकारों के अधिवक्तागण के ही हस्ताक्षर है पक्षकारान के कोई हस्ताक्षर नहीं है और किस प्रकार पी.डी. जारी करनी है ऐसी कोई सहमति आदेशिका पर पक्षकारान की अधिवक्ता की ओर से जाहिर किया जाना प्रमाणित नहीं है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियां अपीलांट व अपीलाधीन वाद के प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा प्रस्तुत किये गये काउण्टर क्लेम के अनुसार काफी वर्षों पूर्व ही विभाजित की हुई है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने या अस्वीकार किया जाने के संबंध में किसी तरह का कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया हुआ होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.08.2023 में प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के अधिवक्ता रमेश कुमार की ओर से आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्राथमिक डिक्री करने हेतु सहमति प्रकट की गई है। इसके आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। सहमति के आधार पर पारित डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री इस आधार पर पारित की गयी है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 9, 10 की ओर से वाद पत्र को स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति जाहिर की गयी है जबकि अपीलांट व अपीलाधीन वाद के प्रतिवादी संख्या 9 व 10 की ओर से कभी भी वाद पत्र को स्वीकार नहीं किया गया था बल्कि वाद पत्र का खण्डन करते हुए काउण्टर दावा प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली में प्रथम कार्यवाही समस्त पक्षकारों की तलबी की कार्यवाही ही पूर्ण नहीं हुई है। पत्रावली की आदेशिका पर दी गयी पी.डी. जारी करने की तथाकथित सहमति के आधार पर भी कतई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती क्योंकि आदेशिका पर पक्षकारों के अधिवक्तागण के ही हस्ताक्षर है पक्षकारान के कोई हस्ताक्षर नहीं है और किस प्रकार पी.डी. जारी करनी है ऐसी कोई सहमति आदेशिका पर पक्षकारान की अधिवक्ता की ओर से जाहिर किया जाना प्रमाणित नहीं है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने या अस्वीकार किया जाने के संबंध में किसी तरह का कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया हुआ होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर, तनकीयात कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

निर्णय आज दिनांक 23.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते